न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चिम्मन लाल बनाम धप्पो वगैरा किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र रिव्यू मु0न0 08/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.2022	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 तथा 6 एवं 7 उपस्थित। प्रार्थना पत्र रिव्यू पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता धप्पो बेवा प्रभातीलाल जाति बैरवा वगैरा निवासी बांदीकुई तहसील बसवा द्वारा निगरानी याचिका संख्या 5/2014 उनवानी धप्पो बनाम चिम्मन लाल प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 चिम्मन लाल गुप्ता पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी बांदीकुई के नाम नगरपालिका बांदीकुई द्वारा खसरा नम्बर 117 ग्राम श्यालावास खुर्द में जारी किया गया पट्टा दिनांक 6.8.2002 को निरस्त करने का निवेदन करने पर तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा उक्त निगरानी याचिका में पारित निर्णय दिनांक 3.11.2016 द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 3.11.2016 पर पुनः विचार हेतु प्रार्थी चिम्मन लाल गुप्ता द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निर्णय दिनांक 3.11.2016 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 तथा 6 एवं 7 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 3.11.2016 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी चिम्मन लाल गुप्ता पुत्र बाबूलाल जाति महाजन को नगरपालिका बांदीकुई द्वारा जारी पट्टा दिनांक 6.8.2002 बहाल रखा जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन करने एवं तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.11.2016 का गौरपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के ग्राम श्यालावास खुर्द के खसरा नम्बर 117 रकबा 1.32 है. की 90 बी की कार्यवाही सम्बन्धी आदेश दिनांक 2.2.2002 को संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहां प्रस्तुत अपील संख्या 12/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2003 द्वारा खसरा नम्बर 117 रकबा 1.32 के सम्बन्ध में निरस्त कर दिया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 16.03.2003 द्वारा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका बांदीकुई के बजाय पुनः खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि नगरपालिका बांदीकुई के नाम दर्ज न होकर पुनः मूल खातेदार के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि पर जारी पट्टा दिनांक 6.8.2002 भी प्रभावशून्य होना मानते हुये निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.11.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official